

फर्द अहकाम
(नियम 26)

2020/00246

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

श्री करमाराम पुत्र श्री लाखाराम कलबी
जति कलबी
निवासी हरणी अमरापुरा तहसील रेवदर
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी रेवदर

विस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 48 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
1 08.2020	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनांक 14.03.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि भूमिहीन कृषक को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में तहसीलदार रेवदर द्वारा भेजी गई जांच कार्यवाही की सूचना से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयवाधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनांक 14.03.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि भूमिहीन कृषक को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में तहसीलदार रेवदर द्वारा भेजी गई जांच कार्यवाही की सूचना से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। ए.डी.एम सिरोही द्वारा जरिये पत्र क्र. 821 दिनांक 18.12.2019 के द्वारा प्रकरण की सूचना उपखण्ड अधिकारी रेवदर से सम्बन्धित होने से उन्हें हस्तान्तरित किया गया। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेवदर को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

302-3
13/8/20

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

